

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 17154/2022

=====

अखिलेश सिंह, पिता धरीछन सिंह, निवासी ग्राम एवं पोस्ट- दिनारा, जिला- रोहतास, पिन कोड- 802213

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार, पटना बिहार के माध्यम से।
2. कलेक्टर, रोहतास।
3. अपर कलेक्टर, सासाराम, रोहतास।
4. उप कलेक्टर, भूमि सुधार, बिक्रमगंज, रोहतास।
5. अंचल अधिकारी, दिनारा, जिला- रोहतास।
6. धनपातो देवी पति श्री सिंह निवासी ग्राम- गिरधरिया, पोस्ट तथा थाना- दिनारा, जिला- रोहतास, पिन कोड- 802213.
7. धरीछन सिंह, पिता- स्वर्गीय केदार सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट- दिनारा, जिला- रोहतास.

.....प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री रंजन कुमार दुबे, अधिवक्ता
श्री शैलेन्द्र कुमार द्विवेदी, अधिवक्ता
श्री शशांक कश्यप, अधिवक्ता
श्री बमबम कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से : एसी से एएजी-12

प्रतिवादी संख्या 6 के लिए : श्री उदय प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता

=====

बिहार भूमि समाधान अधिनियम, 2009

रिट याचिका -प्रश्न उठा -क्या उप समाहर्ता भूमि सुधार, बिक्रमगंज, रोहतास बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम, 2009 की धारा 4 से आगे जा सकते हैं - निम्नलिखित राहतों के लिए याचिका प्रस्तुत की गई अर्थात् भूमि विवाद मामले में डीसीएलआर, बिक्रमगंज, रोहतास द्वारा पारित दिनांक 4/11/2022 के आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए, आधिकारिक प्रतिवादियों को रिट याचिका के अंतिम निपटान तक आदेश के आलोक में कोई भी बलपूर्वक कदम नहीं उठाने का निर्देश देने

के लिए – प्रतिवादियों को रिट याचिका के निपटान तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने के लिए – तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के दादा स्वर्गीय केदार नाथ सिंह ने 4/6/1942 को जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था और 1970-72 की अवधि के दौरान तैयार आर.एस. खेतान में याचिकाकर्ता के दादा का नाम शामिल किया गया था – जमीन उनके कब्जे में आ गई बेटा और बाद में उसका पोता जो याचिकाकर्ता है – किराए की रसीदें रिकॉर्ड में हैं – याचिकाकर्ता के सगे-संबंधी ने 30/8/1982 को अपनी बेटी धनपातो देवी को कुछ जमीन उपहार में दी, हालांकि उक्त उपहार में याचिकाकर्ता के दादा की जमीन भी शामिल हो गई – इसके बाद धनपातो देवी के पक्ष में सर्कल अधिकारी, दिनारा द्वारा म्यूटेशन केस संख्या 161/83 दायर किया गया, जो याचिकाकर्ता की पीठ पीछे एकतरफा किया गया था – म्यूटेशन अपील संख्या के अनुसार। 870/1984-85, याचिकाकर्ता के पिता ने डीसीएलआर, बिक्रमगंज के समक्ष अपील की, जिन्होंने रिपोर्ट मांगी और सर्कल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, संतुष्ट होकर 26/3/1985 को याचिकाकर्ता के परिवार के पक्ष में म्यूटेशन अपील की अनुमति दी – इसलिए धनपातो देवी द्वारा म्यूटेशन रिवीजन पेश किया गया, जो 6/12/1989 को गैर अभियोजन के लिए खारिज हो गया – इसके बाद धनपातो देवी द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष शीर्षक सूट संख्या 42/2003 दायर किया गया, जिसे भी गैर अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया – एक दशक बाद '2009 अधिनियम' के तहत, बी.एल.डी.आर. केस संख्या 30/22 पेश किया गया और उप समाहता भूमि सुधार, बिक्रमगंज, रोहतास ने 4/11.2022 के आदेश के तहत याचिका को स्वीकार कर लिया और सर्कल कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया 4/11/2022 को उक्त याचिका को स्वीकार करते हुए सर्कल अधिकारी, दिनारा को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया

उनका तर्क है कि ऐसा करते समय भूमि सुधार उप समाहता अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चले गए क्योंकि 2009 अधिनियम की धारा 4 के तहत आदेश केवल बंदोबस्तधारी/आवंटी के मामले में ही पारित किया जा सकता है, न कि तब जब दो निजी व्यक्ति/पक्षों के बीच विवाद हो – शीर्षक वाद संख्या 147/1998 में पारित आदेश जो महिला धनपातो देवी और उसकी बहन अशर्फी देवी के बेटे के बीच लड़ा गया था जिसमें धनपातो देवी के पक्ष में उपहार को चुनौती देने को विद्वान उप-न्यायाधीश – IV, रोहतास, सासाराम द्वारा 15/11/2006 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था – इस आदेश को शीर्षक अपील संख्या 116/2006 में उसकी बहन के बेटे द्वारा चुनौती दी गई थी जिसे फिर से विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश – IV, रोहतास, सासाराम द्वारा 19/8/2015 को खारिज कर दिया गया था यह भूमि के

बंदोबस्तकर्ता या आबंटिती तक सीमित है, जहां अनधिकृत गैरकानूनी बेदखली हुई है, साथ ही यह बंदोबस्त/आबंटित भूमि के कब्जे की बहाली से भी संबंधित है।

उपर्युक्त तथ्य/विवरण तथा '2009 अधिनियम' के अवलोकन से मूल प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा – कि उप समाहर्ता ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय 2009 अधिनियम की धारा 4 के दायरे से बाहर जाकर काम किया है, तथा ऐसी परिस्थितियों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है – प्रतिवादी संख्या 6 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत का निवारण करने की स्वतंत्रता है – उप समाहर्ता भूमि सुधार, बिक्रमगंज, रोहतास द्वारा भूमि विवाद मामले संख्या 30/2022-23 में पारित दिनांक 4/11/2022 का आदेश निरस्त माना जाता है – रिट याचिका स्वीकार की जाती है – कोई लागत नहीं।

संदर्भित:

बासुदेव साव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

राम बचन सिंह बनाम बिहार राज्य 2023 (2) पीएलजेआर 554

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

मौखिक निर्णय

दिनांक : 01-04-2024

रिट याचिका में यह प्रश्न उठा है कि क्या उप समाहर्ता भूमि सुधार, बिक्रमगंज, रोहतास बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम, 2009 (जिसे अब से संक्षेप में '2009 अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 4 से आगे जा सकते हैं या नहीं।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रस्तुत की गई है:

(i) डीसीएलआर, बिक्रमगंज, रोहतास द्वारा भूमि विवाद वाद संख्या 30/2022-23 में पारित दिनांक 04.11.2022 के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण (Certiorari) की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए, जिसके द्वारा उन्होंने अंचल कार्यालय, दिनारा को प्रतिवादी द्वितीय पक्ष की भूमि की माप करने का निर्देश दिया है और यदि विपक्षी पक्ष का अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे खाली कराया जा सकता है;

(ii) अनुलग्नक-1 में निहित आदेश के आलोक में रिट याचिका के अंतिम निपटारे तक कोई भी बलपूर्वक कदम न उठाने के लिए आधिकारिक प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए;

(iii) रिट याचिका के अंतिम निपटारे तक प्रश्नगत भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजन कुमार दुबे, एएजी-12 के विद्वान एसी और प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री उदय प्रकाश शर्मा को सुना गया।

4. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

5. याचिकाकर्ता के दादा, अर्थात् स्वर्गीय केदार सिंह ने 04.06.1942 को एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था (अनुलग्नक-2)। 1970-72 की अवधि के दौरान तैयार आर.एस. खतियान में याचिकाकर्ता के दादा, स्वर्गीय केदार सिंह का नाम शामिल था। बाद में यह जमीन उनके पिता हरिचंद सिंह और फिर पोते अखिलेश सिंह (यहां याचिकाकर्ता) के कब्जे में आ गई। किराया रसीदें भी अभिलेख में हैं (अनुलग्नक-4 श्रृंखला)।

6. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनके परिजन, अर्थात्, उम्दा कुंअर ने 31.08.1982 को अपनी बेटी धनपातो देवी को कुछ जमीन उपहार में दी थी। हालांकि, उक्त उपहार में याचिकाकर्ता/दादा (स्वर्गीय केदार सिंह) की जमीन भी शामिल थी। इसके बाद धनपातो देवी के पक्ष में अंचल अधिकारी, दिनारा द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 161/83 याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में एकपक्षीय आदेश किया गया था।

7. दाखिल खारिज अपील संख्या 870/1984-85 के तहत याचिकाकर्ता के पिता धरिचन सिंह ने डीसीएलआर, बिक्रमगंज के समक्ष उपरोक्त अपील दायर की, जिन्होंने रिपोर्ट मांगी और अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट होने पर 26.03.1985 को याचिकाकर्ता के परिवार के पक्ष में म्यूटेशन अपील की अनुमति दी गई।

8. इसके बाद प्रतिवादी संख्या 6, धनपातो देवी द्वारा दाखिल, दाखिल खारिज पुनरीक्षण 06.12.1989 को गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया। इसके बाद धनपातो देवी द्वारा सक्षम दीवानी न्यायालय के समक्ष टाइटल सूट संख्या 42/2003 दाखिल किया गया, जिसे भी गैर-अभियोजन के कारण दिनांक 09.08.2012 को खारिज कर दिया गया।

9. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि एक दशक बाद '2009 अधिनियम' के तहत बी.एल.डी.आर. वाद संख्या 30/22 पेश किया गया और उप समाहर्ता भूमि सुधार, बिक्रमगंज, रोहतास ने 04.11.2022 के आदेश के तहत उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया और अंचल अधिकारी, दिनारा को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया (रिट याचिका का अनुलग्नक-1)।

10. उनका तर्क है कि ऐसा करते समय प्रतिवादी संख्या 6 में भूमि सुधार उप समाहर्ता ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिया है, क्योंकि 2009 अधिनियम की धारा 4 के तहत आदेश केवल बंदोबस्तधारी/आवंटी के मामले में ही पारित किया जा सकता है, न कि तब जब दो निजी व्यक्तियों/पक्षों के बीच कोई विवाद हो।

11. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वैध दान विलेख के माध्यम से विचाराधीन भूमि धनपातो देवी को उनकी मां कुम्दा कुंअर द्वारा हस्तांतरित की गई थी।

12. उन्होंने इस न्यायालय में महिला धनपातो देवी तथा उसकी बहन अशर्फी देवी के पिता के बीच लड़े गए टाइटल सूट संख्या 147/1998 में पारित आदेश को भी प्रस्तुत किया, जिसमें धनपातो देवी के पक्ष में उपहार को चुनौती देने को विद्वान उप न्यायाधीश-IV, रोहतास, सासाराम द्वारा दिनांक 15.11.2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसे टाइटल अपील संख्या 116/2006 में

दीनदयाल सिंह (धनपातो देवी की बहन के पिता) द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसे पुनः विद्वान अपर जिला न्यायाधीश-IV, रोहतास, सासाराम द्वारा दिनांक 19.08.2015 को खारिज कर दिया गया।

13. विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि जब टाइटल सूट तथा टाइटल अपील दोनों में उपहार विलेख वैध रूप से स्टाम्प हो गया, तो उप समाहर्ता भूमि सुधार द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करना पूर्णतः उचित था।

14. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि आदेश का अवलोकन करने से पता चलता है कि यह दो बहनों के बीच दोस्ताना लड़ाई थी जिसमें याचिकाकर्ता/उसके परिवार के सदस्यों को कभी भी पक्ष नहीं बनाया गया था और इसलिए यह उन पर लागू नहीं होता।

15. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने हालांकि उप-कलेक्टर भूमि सुधार द्वारा पारित आदेश को इस विशिष्ट प्रश्न पर उचित ठहराने की कोशिश की कि क्या संबंधित अधिकारी '2009 अधिनियम' की धारा 4 से आगे बढ़ सकता है, लेकिन जवाब टालमटोल वाला था।

16. यह न्यायालय '2000 अधिनियम' की धारा 4 को शामिल करना चाहेगा जो इस प्रकार है:-

4. विवादों को हल करने का अधिकार क्षेत्र और प्राधिकार- (1) सक्षम प्राधिकारी को किसी आवेदन या शिकायत पर या किसी निर्धारित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा संदर्भित किसी आवेदन पर, निम्नलिखित प्रकार के विवादों से उत्पन्न किसी मुद्दे पर सुनवाई करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र और प्राधिकार होगा:-

राज्य या केंद्र सरकार के किसी विज्ञापन या नीति के तहत किसी बंदोबस्तधारी या आवंटी को किसी भूमि या उसके हिस्से से अनधिकृत और गैरकानूनी तरीके से बेदखल करना, जो इस अधिनियम की अनुसूची-1 में निहित किसी अधिनियम के तहत किसी निर्दिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को सरकारी भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान करता है, किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई बंदोबस्त दस्तावेज/पर्चा जारी करके;

(ख) अनधिकृत और गैरकानूनी बेदखली के निर्णय पर कानूनी रूप से हकदार बंदोबस्तधारी/आवंटी या उसके उत्तराधिकारियों/वारिसों के पक्ष में बंदोबस्त/आवंटी भूमि के कब्जे की बहाली;

(ग) विधिक रूप से हकदार बंदोबस्तधारी/आवंटी को बेदखल करने की धमकी;

(घ) उपरोक्त (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित कोई भी मामला रैयती भूमि से संबंधित हो;

(ङ) भूमि का विभाजन;

(च) मानचित्र/सर्वेक्षण पत्रिका सहित अधिकार अभिलेख में की गई प्रविष्टि में सुधार;

(छ) किसी व्यक्ति के अधिकार की घोषणा;

(ज) सीमा विवाद;

(झ) अनधिकृत संरचना का निर्माण; और

(ञ) लिस पेंडेंस ट्रांसफर।

(2) सक्षम प्राधिकारी को अनुसूची-1 में निहित किसी भी अधिनियम के तहत अंतिम रूप से संपन्न और न्यायनिर्णित कार्यवाही की समीक्षा या पुनः खोलने का अधिकार नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम की अनुसूची-1 में निहित अधिनियमों में ऐसा करने के लिए सशक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी अंतिम आदेश के आधार पर उसके समक्ष लाए गए विवाद को हल करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी को आवंटी/बंदोबस्तधारी या रैयत के किसी नए अधिकार पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा, जो अभी निर्धारित नहीं हुआ है और अनुसूची-1 में निहित किसी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना अपेक्षित है: बशर्ते कि जहां आवंटी/बंदोबस्तधारी या रैयत के अधिकार अनुसूची-1 में निहित किसी अधिनियम के तहत पहले से निर्धारित हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी को उप-धारा (1) में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित मामलों पर विचार करने का अधिकार होगा।

(4) उप-धारा (2) और (3) में निहित किसी भी बात के बावजूद, अनुसूची-1 में निहित किसी भी अधिनियम में आवंटी/बंदोबस्तधारी या रैयत के अधिकारों के निर्धारण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और दावा किया गया अधिकार अभी निर्धारित नहीं किया गया है, ऐसे अधिकार को अंतिम रूप से निर्धारित करना सक्षम प्राधिकारी के लिए खुला होगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी को जहां भी यह प्रतीत हो कि उसके समक्ष संस्थित मामले में स्वामित्व के न्यायनिर्णयन का जटिल प्रश्न शामिल है, वह कार्यवाही बंद कर देगा और पक्षकारों को सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष उपचार की मांग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देगा।

17. उक्त धारा के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि यह भूमि के बंदोबस्तधारी या आबंटिती तक सीमित है, जहां अनधिकृत अवैध कब्जा है और बंदोबस्त/आबंटित भूमि के कब्जे की बहाली से भी संबंधित है।

18. माना कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 6 न तो बंदोबस्तधारी हैं और न ही आवंटी। याचिकाकर्ता का यह विशिष्ट मामला है कि वर्ष 1942 में भूमि उसके दादा स्वर्गीय केदार सिंह ने खरीदी थी, जबकि प्रतिवादी संख्या 6 का मामला यह है कि संपत्ति उसकी मां कुमदा कुअर ने उपहार में दी थी, जो स्वर्गीय केदार सिंह के भाई सरजू सिंह की पत्नी थीं। इस प्रकार, डीसीएलआर 2000 अधिनियम की उक्त धारा के तहत कोई आदेश पारित नहीं कर सकता था।

19. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **राम बचन सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में 2023 (2) पीएलजेआर 554** में रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है और पैराग्राफ संख्या को शामिल करना प्रासंगिक होगा। 9 से 11 जो इस प्रकार है:-

“दोनों पक्षों को सुनने और किए गए कथनों पर विचार करने के बाद, बासुदेव साव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में बैंड विवाद अधिनियम 2009 के तहत एक आवेदन की स्थिरता के संबंध में प्रश्न न्यायालय में विचार के लिए आया। जिसका निर्णय सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 9536/2022 में पारित दिनांक 29.03.2023 के निर्णय द्वारा किया गया। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

“अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से, जो विवाद में नहीं है वह यह है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा डीसीएलआर, डेहरी, रोहतास के समक्ष रिट याचिका के अनुलग्नक 1 में निहित आवेदन बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम, 2009 के तहत था। निस्संदेह, प्रतिवादी संख्या 5 चूंकि विचाराधीन भूमि सरकारी भूमि नहीं थी, जिसका निपटान अधिनियम की अनुसूची-1 में वर्णित किसी भी अधिनियम की विषय-वस्तु के अंतर्गत उसके पक्ष में किया गया था, इसलिए इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता कि प्रतिवादी संख्या 5 न तो आवंटी है और न ही अधिनियम के तहत परिभाषित बंदोबस्तधारी है।

अगला प्रश्न जो उठेगा वह यह है कि क्या अधिनियम के तहत प्राधिकरण के पास धारा 4(1)ई से 4(1)जे में उल्लिखित विवादों का फैसला करने का अधिकार होगा, जो इस याचिकाकर्ता के मामले में बंदोबस्तधारी/आवंटी नहीं हैं, यह सच है कि धारा 4(1) (ए), (बी) और (सी) में विशेष रूप से "बंदोबस्तधारी/आवंटी" शब्द का उल्लेख है, जबकि धारा 4(1)(ई) से 4(1)(जे) में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस स्तर पर, यह पता लगाने के उद्देश्य से अधिनियम की प्रस्तावना का संदर्भ लेना प्रासंगिक होगा कि विधानमंडल ने अधिनियम किस उद्देश्य से अधिनियम बनाया था।

अधिनियम की प्रस्तावना नीचे संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत की गई है:

"प्रस्तावना - जबकि बिहार राज्य में अधिकारों के अभिलेख, सीमाओं, राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों, अवैध कब्जे से संबंधित विवाद रैयती भूमि के अधिग्रहण और सार्वजनिक भूमि के आवंटियों और बंदोबस्तधारियों को जबरन बेदखल करने से समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और वास्तविक आवंटियों/बंदोबस्तधारियों, रैयतों या अधिभोगियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है।

जबकि, विभिन्न वर्गों के आवंटियों के पक्ष में आवंटित रैयती भूमि या सार्वजनिक भूमि के संबंध में ऐसे विवाद अनावश्यक रूप से सिविल न्यायालयों और माननीय उच्च न्यायालय के बड़े स्थान पर कब्जा कर रहे हैं और जिन्हें अन्यथा राजस्व प्राधिकारियों द्वारा हल किया जाना चाहिए था, जो क्षेत्रीय कार्यालयों में उनकी निरंतर उपस्थिति और राजस्व प्रशासन में उनकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए ऐसे विवादों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकते हैं।

जबकि व्यापक जनहित में ऐसे विवादों को हल करने के लिए प्रभावी और त्वरित तंत्र प्रदान करना आवश्यक समझा जाता है,

जो तत्काल और प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं किए जाने पर बड़ी अशांति को जन्म देते हैं।

और जबकि, विवादों की प्रकृति से संबंधित डेटा के विश्लेषण में यह पाया गया है। वे ज्यादातर अधिकारों के अभिलेख, जमाबंद का विभाजन, आवंटियों/रैयतों का जबरन बेदखल, सीमा विवाद आदि से जुड़े मामलों से संबंधित हैं और इस संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन शामिल है;

- (1) बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950,
- (2) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885
- (3) बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि काश्तकारी अधिनियम, 1947
- (4) बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954
- (5) बिहार भूमि सुधार (सेलिंग निर्धारण और अधिशेष भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1961
- (6) बिहार चकबंदी और विखंडन निवारण अधिनियम, 1956 और,

जबकि, उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत विवादों के समाधान के लिए विभिन्न मंच और प्रक्रियाएं प्रदान की गई हैं और एक समान और सामान्य मंच, प्रक्रिया और तंत्र प्रदान करना समीचीन माना जाता है जो विवादों के प्रभावी, प्रभावकारी और त्वरित समाधान के उद्देश्य को प्राप्त करेगा।

इस अधिनियम को समग्र रूप से देखें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम को अधिनियमित करने में विधानमंडल का उद्देश्य अधिकारों के अभिलेख, जमाबंदी का विभाजन, आवंटियों/रैयतों की जबरन बेदखली, सीमा विवाद आदि से संबंधित विवादों को हल करने के लिए प्रभावी और त्वरित तंत्र बनाना था और इस संदर्भ में बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885, बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि

काश्तकारी अधिनियम, 1947, बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954, बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 और बिहार चकबंदी और विखंडन निवारण अधिनियम, 1956 शामिल थे।

इस प्रकार न्यायालय की राय में, अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ने से, साथ ही ऊपर उद्धृत इसकी प्रस्तावना और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 3 से, यह प्रतीत होता है कि अधिनियम का उद्देश्य अनुसूची-1 में उल्लिखित छह अधिनियमों में से किसी के तहत या उससे उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान करना है।

जहां तक इस मामले के तथ्यों का संबंध है, प्रतिवादी संख्या 1 का मामला, 2013 की धारा 3 के तहत या उससे उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान करना है। जिनके आवेदन पर विद्वान डी.सी.एल.आर., डेहरी रोहतास के न्यायालय में बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम, 2009 के तहत कार्यवाही शुरू हुई, वे न तो आवंटित थे और न ही बंदोबस्तधारी और न ही उनका मामला यह था कि प्रश्नगत भूमि, जो विवाद का विषय है, बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम, 2009 की अनुसूची-1 में उल्लिखित छह अधिनियमों में से किसी के तहत उनके कब्जे में आई थी।

इस प्रकार, उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा डी.सी.एल.आर., डेहरी, रोहतास के समक्ष बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम, 2009 के तहत दायर आवेदन पोषणीय नहीं था और परिणामस्वरूप डी.सी.एल.आर. द्वारा मामला संख्या 17/2021-22 में दिनांक 20.05.2022 का आदेश पारित किया गया। डेहरी रोहतास का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण संधारणीय नहीं है और इसे निरस्त किया जाता है।

जहां तक इस मामले के तथ्यों का सवाल है, न्यायालय की राय में वे बासुदेव साव (उपरोक्त) मामले के तथ्यों के समान हैं। यहां भी याचिकाकर्ता अपने पूर्वजों के माध्यम से खतियानी रैयत होने

का दावा करता है। याचिकाकर्ता किराया दे रहा था और उसे किराया रसीदें दी जा रही थीं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता न तो प्रश्नगत भूमि का आबंटी है, न ही बंदोबस्तधारी है और न ही याचिकाकर्ता प्रश्नगत भूमि पर अधिकार का दावा कर रहा है, क्योंकि इसका बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम, 2009 की अनुसूची 1 में उल्लिखित छह अधिनियमों में से किसी एक के तहत बंदोबस्त हो चुका है। इस प्रकार न्यायालय की राय में याचिकाकर्ता द्वारा 21.11.2017 को बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम, 2009 की धारा 4(1)(एच) के तहत उप समाहर्ता भूमि सुधार के समक्ष दायर किया गया आवेदन ही पोषणीय नहीं था।

परिणामस्वरूप डीसीएलआर, कहलगांव द्वारा भूमि विवाद वाद संख्या- 9/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 9.2.2018 (अनुलग्नक-4) क्षेत्राधिकार के बिना होगा। इस प्रकार प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर द्वारा विविध (बीएलडीआर) केस संख्या 2/1018-19 में पारित दिनांक 8.10.2018/22.10.2018 (अनुलग्नक-5) आदेश तथा बिहार भूमि न्यायाधिकरण पटना द्वारा बीएलटी केस संख्या 172/2019 में पारित दिनांक 13.1.2020 (अनुलग्नक-8) आदेश भी संधारणीय नहीं होंगे। इस प्रकार दिनांक 9.2.2018 (अनुलग्नक-4) आदेश, दिनांक 8.10.2018/22.10.2018 (अनुलग्नक-5) तथा दिनांक 13.1.2020 (अनुलग्नक-8) सभी आदेश अपास्त किए जाते हैं।

रिट आवेदन का निपटारा इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले दीवानी न्यायालय में जा सकता है।

20. उपर्युक्त तथ्य/विवरण तथा '2009 अधिनियम' का अवलोकन मूल प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देगा, जिसे रिट याचिका के प्रथम कंडिका में शामिल किया गया था। इस प्रकार यह न्यायालय मानता है कि उप समाहर्ता भूमि सुधार, बिक्रमगंज रोहतास ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय निश्चित रूप से '2009 अधिनियम' की धारा 4 का उल्लंघन किया है, तथा ऐसी परिस्थितियों में इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

21. इस स्तर पर, प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान वकील ने दलील दी है कि उन्हें अपनी शिकायत के निवारण के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। उक्त स्वतंत्रता हमेशा पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) को उपलब्ध है, खासकर याचिकाकर्ता को।

22. भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिक्रमगंज, रोहतास द्वारा भूमि विवाद वाद संख्या 30/2022-23 में पारित दिनांक 04.11.2022 का आदेश रद्द किया जाता है।

23. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

जगदीश/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।